न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या : 06/2017
वाद दायरी दिनांक : 12/01/2017
निर्णय दिनांक : 21/2/2017

कालूराम पुत्र छीतर, जाति रैगर निवासी दूदू तह0 दूदू हाल निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

–– वादी

–बनाम–

1. रामविलास पुत्र छीतर
2. घीसालाल पुत्र काना
3. लालाराम पुत्र काना
4. भंवरलाल पुत्र काना
5. ओमप्रकाश पुत्र काना

} जातियान रैगर, निवासीगण दूदू हाल निवासी खुडियाला, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।

6. तहसीलदार, दूदू जिला जयपुर, राज0।

–– प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – श्री हरीश कुमार साहू
विद्वान अधिवक्ता वादी।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्ध
कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 21/2/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के आराजी खतौनी संख्या 318 के आराजी खसरा नम्बर 7622/5840 रकबा 2.5300 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 2.5300 हैक्टेयर वाके ग्राम दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें वादी हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 2

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

लगायत 5 संयुक्त रूप से हिस्सा 1/2 के अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं लगान अपने-अपने हिस्से अनुसार सरकारी अदा करते आ रहे हैं। उपर्युक्त विवादित आराजीयात वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की उपर्युक्त वर्णितानुसार राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात है लेकिन मौके पर आज से काफी वर्षों पूर्व ही उक्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने बाहमी बंटवारा कर लिया है जिसके अनुसार वाद-पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शित आराजी वादी के हिस्से की एवं शेष सफेद रंग से दर्शित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से की आराजीयात हैं। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 मौके पर अब तक शान्तिपूर्वक काबिज काश्त थे, परन्तु विधिक बंटवारा नही होने से आये दिन मेर कोर को लेकर विवाद रहने लग गया है। विवादित आराजीयात में वादी ने अपने हिस्से को काफी उन्नत व उपजाऊ बना लिया है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 वादी से द्वेषता रखने लगे एवं येनकेन प्रकारेण वादी को अपने हिस्से की उन्नत व कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 10/01/2017 को वादी अपनी आराजीयात की सार-संभाल करने गया, तब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को विवादित आराजी में वादी के उन्नत हिस्से की आराजीयात दीगर व्यक्तियों को बता रहे थे, जब वादी ने इसका कारण पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने वादी को धमकी दी कि उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अविभाजित है, जिससे हम तुझे उक्त विवादित आराजीयात से तुम्हारे उपजाउ हिस्से से बेदखल कर हम जबरन कब्जा करेंगे तथा विवादित आराजीयात का दीगर व्यक्तियों को बेचान किया जावेगा, जिससे वादी को यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बाबत तकासमा डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजी वर्णित वाद-पत्र का पैरा संख्या 1 का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य वाद-पत्र के पैरा संख्या 2 एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार या बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के सिद्धान्त अनुसार तकासमा किया जाकर लगान की फेटबन्दी अलहदा-अलहदा

अधिकारी

ण्ड अधिकारी
जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

किया जावें। डिक्री की पालनार्थ प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार दूदू को लिखा जावे।प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वाद–पत्र के वर्णित मद नम्बर 1 की आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न स्वंय करें, न अन्य से करावें न आराजी का बिना तकासमा किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल, विक्रयादि करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 21/02/2017 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 6 फोरमल पक्षकार है, जिसकी ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 318 के अनुसार विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात हैं, चूंकि विवादित आराजी विधिवत रूप से अविभाजित आराजीयात हैं तथा विवादित आराजीयात के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजूद तामिल न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा न ही कोई आपत्ति पेश हुयी, जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी है, इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 318 के आराजी खसरा नम्बर 7622/5840 रकबा 2.5300 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 2.5300 हैक्टेयर वाके ग्राम दूदू,

...ड अधिकारी
...जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

तहसील दूदू, जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य बाइ मीट्स एण्ड बाउण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्धान्त के अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया जाता हैं। तहसीलदार दूदू को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/2/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : ...

डिग्री मुकदमा इब्तदाई

प्राथमिक डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू

इजलास श्री त्रिलोकचन्द मीना (R.A.S)

कालूराम पुत्र छीतर रैगर नि० दूदू बनाम 1. रामविलास पु० छीतर, 2. घीसालाल

दावा बाबत तकासमा व [illegible] 3. लालाराम, 4. भंवरलाल 5. ओमप्रकाश पुत्रान कान्ना रैगर नि० दूदू

मुकदमा नं. 05/2017 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरीश कुमार भादू एड० 6. तहसीलदार दूदू

हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू ....

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खतौनी सं० 318 के आ० ख० नं० 7622/5840 रकबा 2.5300 हे० कुल किता-1 कुल रकबा 2.5300 हे० वाके ग्राम दूदू तह० दूदू जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ल० 5 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स (अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी) के सिद्धांत के अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा-अलहदा किया जाता है।

खर्चा इस मुकदमे का .... फरीकैन .... आज की तारीख से

तारीख अदायगी .... का अदा करें।

बतारीख मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज 21-02-2017 माह सन् को

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

दस्तखत ....

ओहदा ....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प ...		
स्टाम्प ...			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

* इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner